न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2010/112** दायर दिनांक **23.08.2010**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. लिछमणसिंह पुत्र रेंवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी प्यांवा 2. प्रेमसिंह पुत्र रेंवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी प्यांवा 3. मानसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा 4. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा — 188 R.T.Act.

—:: निर्णय ::—

दिनांक **23.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 एक ही गांव रायसिंहपुरा एवं प्यावां के स्थायी निवासी है। पक्षकारान की पैतृक सम्पति खसरा सं0 271 रकबा 07.14 बीघा, खसरा सं0 330 रकबा 2.08 बीघा, खसरा सं0 356 रकबा 61.12 बीघा, खसरा सं0 360 रकबा 18.12 बीघा कुल रकबा 90.06 बीघा जो रायसिंहपुरा के कांकड में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी सं0 03 की संयुक्त खातेदारी का है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 01 व 02 की पैतृक सम्पति वाके सरहद प्यावां के खसरा सं0 111 रकबा 49.06 बीघा है। जो संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

वादी के मौखिक बंटवारें के अनुसार बंट व कब्जे काश्त सुदा खेत खसरा सं0 360 रकबा 18.12 बीघा जिसको संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से दर्शाया गया है। जो वादी के कब्जे काश्त का है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 01 जो वादी का दक्षिणी साईड का खेत पडौसी है जिसके बंट में खसरा सं0 111 रकबा 49 बीघा 06 बिस्वा में से करीब 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि मौखिक बंटवारे के अनुसार बंट व कब्जे काश्त में वादी के खेत के चिपते ही दक्षिण में आया हुआ है। जिसमें प्रतिवादी सं0 01 हमेशा सींव काटकर वादी के खेत पर अतिक्रमण करने हेतु तत्पर रहता है।

प्रार्थना वादी है कि वादी के खेत खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि वे वादी के कब्जे काश्त व बंट के खेत में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बालिया में पेश हुई। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/76
दायर दिनांक 18.08.2016, निर्णय दिनांक 26.07.2017
जवानाराम बनाम मूलसिंह, वगैरा।

द्वारा सामलाती कृषि भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। जो दिया जाना संभव नहीं है। वादी विभाजन का वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश

अतः वादी द्वारा सामलाती कृषि भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। जो दिया जाना संभव नहीं है। अत वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी विभाजन का वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **23.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बालिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2010/112** | दायर दिनांक **23.08.2010**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लिछमणसिंह पुत्र रेंवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी प्यांवा 2. प्रेमसिंह पुत्र रेंवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी प्यांवा 3. मानसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा 4. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 188 R.T.Act.

दिनांक **23.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा सामलाती कृषि भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। जो दिया जाना संभव नहीं है। अत वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी विभाजन का वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बालिया में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner